ऑन लाईन नं. RCMS 2014/00012

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 15/2014

1. सतनाम देवी पुत्री श्री गोपाल राम जाति अरोड़ा निवासी 96 पी ब्लॉक हाल आबाद 1 जी–3 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

अपीलार्थिया

बनाम

1. खैराती लाल पुत्र श्री गोपाल दास जाति अरोड़ा निवासी 93 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
2. नरेश चुध पुत्र श्री मोहरी राम चुध जाति अरोड़ा निवासी जवाहरनगर, श्रीगंगानगर। (संस्थान राजस्थान सीड्स पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान– जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।
4. चरणजीत सिंह पुत्र श्री बिकर सिंह जाति जटसिख निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. हरदीप कौर पत्नी बलौर सिंह जाति जटसिख निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. पालाराम पुत्र खेताराम निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. सुरेन्द्र पुत्र श्री राम लाल जाति कुम्हार निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. प्रकाश पुत्र श्री राम लाल जाति कुम्हार निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :–

1. श्री राजकुमार नागपाल , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री सुभाष मिढा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 व 2

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 03.03.2014 तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर जिसकी रूह से चक 28 एल.एन.पी. फस्ट के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता खुलवाये जाने के आदेश दिये गये, वास्ते निरस्त करने आदेश।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

:: आदेश :: दिनांक :–19.05.2026

अपील अपीलांट निम्न प्रकार है :–

1. यह कि संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 खैरातीलाल वगैरा द्वारा दिनांक 20.02.2014 को श्रीममान तहसीलदार साहब श्रीगंगानगर के समक्ष इस आश्य का प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थीगण के पास चक 23 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 24 में 12.10 बीघा भूमि आवंटित है और इस भूमि के लिए चक 28 एल.एन.पी. फस्ट के मुरब्बा नम्बर 28 के

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

किला नम्बर 21 ता 25 में से रास्ता स्वीकृतशुदा है। मौके पर बिकर सिंह व सतनाम देवी ने मिट्टी डालकर रास्ता बन्द कर दिया है जिसे खुलवाया जावे। तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगवाई व बिना प्रार्थीगण को सुने और रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना दिनांक 03.03.2014 को मुरब्बा नम्बर 28 किला नम्बर 21 ता 25 में से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित कर दिया जिसके खिलाफ अपीलांटा निम्न कानूनी आधारों पर यह अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर रही है।

2. यह कि अदालत मातहात का आदेश दिनांक 03.03.2014 खिलाफ शहादत व रूएदाद मिसल है जो काबिले खारिजी है। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न अपील है।
3. यह कि अदालत मातहत द्वारा अपीलकृत आदेश पारित करते समय रिकॉर्ड पर आई साक्ष्य का न्यायिक दृष्टि से अवलोकन नहीं किया और बिना किसी आधार के अपीलकृत आदेश पारित कर दिया। इसलिए आदेश अधीनस्थ न्यायालय काबिले खारिजी है।
4. यह कि जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 के अनुसार चक 28 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत नहीं है, बल्कि इस स्थान से सरकारी खाला निकलता है। जमाबन्दी में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत है। अदालत मातहत ने बिना जमाबन्दी का अवलोकन किये किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता मानकर खाली करवाने का जो आदेश दिया है वह कानूनन गलत है।
5. यह कि आदेश अपीलांटा व अन्य हिस्सेदारान को बिना सुने पारित किया गया है जो नैसिर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।
6. यह कि अदालत मातहत ने अपीलकृत आदेश अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। कानूनन सर्वप्रथम स्वीकृत रास्ता खुलवाने का अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को होता है। सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र ग्राम पंचायत को लगया जाता है। 45 दिन तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत दिये गये प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही या आदेश पारित नहीं करते तो वह प्रार्थना पत्र सम्बन्धित तहसीलदार को भेजा जाता है तथा तहसीलदार 45 दिन बाद आदेश पारित करता है। अगर किसी पक्षकार द्वारा प्रार्थना–पत्र सर्वप्रथम तहसीलदार के समक्ष पेश किया जाता है तो तहसीलदार का यह दायित्व है कि तहसीलदार यह प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजे और सम्बन्धित ग्राम पंचातय 45 दिन में इस प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करें।

इस प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जो कानूनी है। इस प्रक्रिया का अनुसरण न करने के कारण अपीलकृत आदेश दिनांक 03.03.2014 गैरकानूनी है इसलिए आदेश जेर अपील काबिले खारिजी है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

7. यह कि वर्तमान समय में मुरब्बा नम्बर 28 किला नम्बर 25 में नाका है किला नम्बर 21 ता 25 में दो–दो बिस्वा भूमि पर कच्चा खाल बना हुआ है जिससे इस मुरब्बा में सिंचाई होती है जो पिछले करीब 60 सालों से चल रहा है। मौका पर खाल की मिट्टी व छोटी–छोटी झाड़िया मौजूद थी। यह साक्ष्य पटवारी हल्का की रिपोर्ट में मौजूद है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस रिपोर्ट का अवलोकन न करके अपीलकृत आदेश पारित किया है जो कानूनन गलत है तथा काबिले खारिजी है। सिंचाई विभाग का प्रमाणित नक्शा सलंग्न अपील है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2014 निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से मंगवाया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 के अनुसार चक 28 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत नहीं है, बल्कि इस स्थान से सरकारी खाला निकलता है। जमाबन्दी में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत है। अदालत मातहत ने बिना जमाबन्दी का अवलोकन किये किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता मानकर खाली करवाने का जो आदेश दिया है वह कानूनन गलत है। कानूनन सर्वप्रथम स्वीकृत रास्ता खुलवाने का अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को होता है। 45 दिन तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत दिये गये प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही या आदेश पारित किया जाता तो वह प्रार्थना पत्र सम्बन्धित तहसीलदार को भेजा जाता है। जबकि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर प्रार्थना पत्र प्राप्त होने उक्त आदेश अपने स्तर पर 45 दिन के अन्दर पारित किया गया है जो नियम विरूद्व है। वर्तमान समय में मुरब्बा नम्बर 28 किला नम्बर 25 में नका है किला नम्बर 21 ता 25 में दो–दो बिस्वा भूमि पर कच्चा खाल बना हुआ है जिससे इस मुरब्बा में सिंचाई होती है जो पिछले करीब 60 सालों से चल रहा है। सिंचाई विभाग का प्रमाणित नक्शा सलंग्न अपील है। अतः अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2014 निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस नो इन्स्टेक्शन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा उक्त अपील तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 03.03.2014 जिससे मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 में से रास्ता खुलवाये जाने का जो पारित किया गया के विरूद्व पेश की है। जिसमें अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत नहीं है, बल्कि इस स्थान से सरकारी खाला निकलता है। जमाबन्दी में भी यह कहीं अंकित नहीं है कि किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत है। **जबकि पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांकः–रीडर/ 2014/339 दिनांक 11.09.2014 के सलंग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का निम्नानुसार है :–'' चक 28 एलएनपी प्रथम के वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 के खाता संख्या 19 , सांझा खाता में मुरब्बा 28 का किला नम्बर 2 ता 25 का कुल रकबा 4.225 हैक्टर बारानी व खाता नम्बर 44 एकल खाता में मुरब्बा नम्बर 28 किला नम्बर 1,10 ता 12, 19 ता 22 कुल 1.973 हैक्टर बारानी दर्ज है, जो मुरब्बा नम्बर 28 का कुल रकबा 4.225 व 1.973 कुल 6.198 हैक्टर बरानी (24.10 बीघा) रकबा खातेदारी दर्ज है। खाता नम्बर 19 में मुरब्बा नम्बर 28 का किला नम्बर 23/.228, 24/.228, 25/.227 व खाता नम्बर 19, 44 में खाला दर्ज नहीं है। उक्त मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 में प्रत्येक में खातेदारों की भूमि 0.18 बिस्वा है। शेष 0.02 बिस्वा भूमि मुताबिक राजस्व नक्शा रास्ता दर्ज है। रिकॉर्ड में खाला दर्ज नहीं है।** उक्त रिपोर्ट से प्रमाणित है कि मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 में खाला दर्ज नहीं है बल्कि रास्ता दर्ज है। फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड सम्बन्धित तहसीलदार को भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तरतीव/तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.)
श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
(प्रशासन), श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner